रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 1996/कार्तिक 16, 1918
No. 196] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 1996/KARTIKA 16, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1996

विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में प्रत्यक्ष भारतीय निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त।

फा. सं. 4/1/93-ई. पी. (ओ. आई.).—विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में दिनांक 17-8-95 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए जाते हैं :

(1) पैरा 5.1 (ii) में शब्द ''निवेश की राशि पिछले तीन वर्षों में कम्पनी की औसत वार्षिक निर्यात आय के 25% तक हो ; तथा'' शब्द के स्थान पर ''निवेश की राशि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में भारतीय पार्टी के वार्षिक औसत निर्यात/विदेशी मुद्रा अर्जन (विदेशों में मौजूदा संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों के गैर-इक्विटी निर्यातों को छोड़कर) का 25% तक हो; तथा'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) पैरा 5.1 (iii) में शब्द ''निवेश की राशि लाभांश, रायल्टी, तकनीकी सेवा शुल्क आदि के रूप में पांच वर्षों की अवधि के भीतर पूर्ण रूप में स्वदेश में भेजनी होगी'' शब्दों से पहले ''विदेशी कम्पनी को इक्विटी की पहली किस्त भेजने की तारीख से अथवा इक्विटी निर्यातों के प्रथम पोतलदान की तारीख से पूंजी निवेश किए जाने वाली सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त होने की निश्चित तारीख से, इनमें जो भी पहले हो'' शब्द जोड़े जाएंगे।

(3) पैरा 5.1 में उप पैरा 5.1 (iii) के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे :—

''जिन मामलों में आवेदक कम्पनी एक नई कम्पनी है और इसके पास अपेक्षित निर्यात निष्पादन/विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं है वहां श्रेय मूल कम्पनी के निर्यात/विदेशी मुद्रा अर्जन को दिया जाए बशर्ते कि आवेदक कम्पनी निर्यातक कम्पनी की विदेशी मुद्रा अर्जक कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी हो अथवा आवेदक कम्पनी में मूल कम्पनी का कम से कम 51% शेयर हो। जिन मामलों में निर्यात अनन्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थापित की गई सहायक कम्पनी के निर्यात/विदेशी मुद्रा अर्जन का श्रेय इसकी मूल कम्पनी को दिया जाए।''

उपरोक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त वित्तीय क्षेत्र में विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदनों के मामले में निम्नलिखित बातें भी लागू होंगी :—

(क) विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली वित्तीय सेवा करने वाली कम्पनियों का कम से कम 3 वर्षों का अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए, और वे आर. बी. आई. द्वारा समय-समय पर जारी गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी

(रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 के तहत या तो श्रेणी I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में सेबी में पंजीकृत होनी चाहिएं अथवा एम बी एफ सी होनी चाहिएं।

(ख) उपरोक्त (क) पर सभी मामलों में कम्पनी के पास न्यूनतम निवल पूंजी 15 करोड़ रु. की होनी चाहिए (प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचित निधि)

(ग) विदेशों में निवेश का प्रस्ताव करने वाली वित्तीय कम्पनियों को 8% के पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड पूरे कर लेने चाहिएं।

(घ) उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा करने वाले भारतीय वित्तीय संस्थानों की सहायक कम्पनियों, को भी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) पैरा 5.4 में शब्द "उच्च स्तरीय समिति" के स्थान पर शब्द "विशेष समिति रखा जाएगा"।

(5) पैरा 5.5 में "किए गए अनुपात, आदि" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे—

"ऑटोमैटिक रूट से संबंधित आवेदनों पर विचार करते समय आर. बी. आई. नीचे दिए गए पैरा 7.1 में निर्धारित मानदण्डों को उचित सम्मान देगी।"

(6) पैरा 5.7 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रस्थापित किया जाए :—

"तीव्र गामी सुविधाओं (फास्ट ट्रेक रूट) की यह सुविधा भारतीय पार्टी को तीन वित्तिय वर्षों को एक ब्लाक में केवल एक बार उपलब्ध होगी जिसमें वह वित्तिय वर्ष भी शामिल होगा जिसमें निवेश किया गया है। तथापि, भारतीय पार्टी को 4 मिलीयन यू. एस. डालर की सम सीमा और औसत वार्षिक निर्यात/विदेशी मुद्रा अर्जन के 25% की पात्रता के भीतर इक्विटी/उपबंधित गांरटी इत्यादि का एक अवसर से अधिक पर या विदेश में एक से अधिक संयुक्त उद्यम/संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में फास्ट ट्रैक रूट पर निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है । तथापि साधारण रूट इन प्रतिबन्धों के अलावा भी उपलब्ध होगा।"

(7) पैरा 6.1 में, शब्द "कम्पनी कार्य विभाग" को "विदेश मंत्रालय" और शब्द "आर बी आई" के बीच में रखा जाएगा।

(8) पैरा 6.1 में शब्दों "इस तरह के प्रस्तावों के साथ किसी भी विनिर्दिष्ट अभीकरण (इस समय ये अभी करण हैं आई. डी. बी. आई.) द्वारा तकनीकी मूल्य निर्धारण होना चाहिए, इसकी व्यवस्था आवेदक द्वारा की जाएगी।" के स्थान पर ये शब्द आएंगे "जैसे प्रस्तावों के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिर्पोट/व्यवहार्यता रिपोर्ट और चार्टड लेखाकार द्वारा अनुपात, अनुमान इत्यादि को सत्थापित करने वाला विवरण-पत्र होना चाहिए यदि विशेष समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो, विशेष समिति आवेदक से परियोजना को एक अभिकरण जैसी आई. डी. बी. आई., आई. सी. आई. जी. आई., एक्सिम बैंक, एस. बी. आई. केप या इसी तरह के किसी अन्य अभिकरण द्वारा मूल्य निर्धारण के लिए जमा कराने को कह सकती है। "

(9) पैरा 7 (घ), शब्दों "पूंजी निवेश के अनुमोदन की तारीख से पांच वर्ष में" के स्थान पर ये शब्द आएंगे "विदेशी कम्पनियों को इक्विटी के प्रथम भुगतान की तारीख से पांच वर्षों के भीतर अथवा इक्विटी निर्यात के प्रथम पोतलदान की तारीख अथवा माल जिसे पूंजीगत कमाया जाना है की प्राप्ति की देय तारीख इनमें से जो भी पहले हो से पांच वर्षों के भीतर।"

(10) पैरा "7" का पैरा (7.1) के रूप में पुर्नक्रमांक किया जाएगा।

(11) पैरा 7 में (पुर्नक्रमांक 7.1), उप पैरा 7 (घ) के बाद, निम्नलिखित उपबन्ध जोड़ा जाएगा "बशर्ते कि श्रेणी "ख" के तहत वित्तिय क्षेत्र में विदेशी भी सीधे निवेश के प्रस्ताव उपर्युक्त पैरा 5.1 में इस क्षेत्र के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिएं।"

(12) पैरा 7.1 का पैरा (7.2) के रूप में पुर्नक्रमांक किया जाएगा।

अशोक प्रधान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1996

Guidelines for Indian Direct Investment in Joint Ventutes and Wholly owned Subsidiaries Abroad.

F. No. 4/1/93-EP(OI).—The following amendments are hereby notified to the Guidelines for Indian Direct Investment in Joint Ventutres and Wholly Owned Subsidiaries Abroad notified vide Notification of even number dated 17-8-1995.

(1) In para 5.1 (ii), the words "the amount of investment is upto 25% of annual average export earnings of the company in the preceding three years; and " shall be substituted by the words "the amount of investment is upto 25% of annual average export/foreign exchange earnings of the Indian party (other than non-equity exports to existing JVs/WOSs abroad) in the preceding three years; and"

(2) In para 5.1 (iii), after the words "the amount of investment should be repatriated in full by way of dividends, royalty, technical services fee etc. within a period of five years" the words "with effect from the date of first remittance of equity to the foreign concern or the date of first shipment of equity exports or the due date for receipt of entitlements which are to be capitalised, whichever is earlier." shall be inserted.

(3) In para 5.1, after sub-para 5.1 (iii), the following words shall be inserted :

"In cases where the applicant company is a new company and does not have the requisite export performance/ exchange earnings, credit may be given to the parent company's exports/exchange earnings, provided the applicant company is either a wholly owned subsidiary of the exporting/exchange earning company, or the latter owns at least 51% shares in the former. In case of exports being routed through subsidiaries set up exclusively for international business, credit may be given to the parent company for the exports/exchange earnings of its subsidiary.

Apart from the above requirements, the following shall apply to applications for overseas direct investment in the financial sector :

(a) Financial services companies proposing to set up JV/WOS overseas should have a good track record of minimum 3 years, and should either be registered with SEBI as Category I Merchant Banker or as an NBFC under the Non-Banking Finance Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 issued by RBI from time to time.

(b) In all cases at (a) above, the company should have a minimum net worth (paid-up capital + free reserves) of Rs. 15 crores.

(c) Finacnial companies seeking to make overseas investments should have fulfilled the prudential norms relating to capital adequacy ratio of 8%.

(d) Subsidiaries of Indian financial institutions which are conforming to the above said norms will also be permitted to make overseas direct investment in the financial services sector."

(4) In para 5.4, the words "High Level Committee" shall be substituted by the words "Special Committee."

(5) In para 5.5, after the words, "projections made, etc." the following words shall be inserted—"In considering applications on the automatic route, RBI shall give due regard to the criteria laid down in para 7.1 below."

(6) For para 5.7, the following para shall be substituted :

"This facility of fast track route will be available to the Indian party only once in a block of three financial years including the financial year in which the investment is made. However, within the overall limits of US $ 4 million and its entitlement of 25% of average annual export/foreign exchange earnings, the Indian party may be permitted to invest equity/provide guarantee etc. on the fast track route on more than one occasion and in more than one JV/WOS abroad. However, the normal route may be availed of without these restrictions."

(7) In para 6.1, the words "Department of Company Affairs" shall be inserted between the words "Ministry of External Affairs," and the words "and the RBI."

(8) In para 6.1, the words "Such proposals should be accompanied by a Technical Appraisal by any of the designated agencies (currently they are IDBI, Exim Bank and SBI) to be arranged for by the applicant" shall be substituted by the words "Such proposals should be accompanied by a Project Report/Feasibility Report submitted by the applicant and by a statement from a Chartered Accountant verifying the ratios, projections made etc. If the Special Committee is not satisfied with the Project Report submitted by the applicant, the Special Committee may require the applicant to submit the project to an appraisal by an agency such as IDBI, ICICI, Exim Bank, SBI Cap or any other similar agency."

(9) In para 7 (d), the words "in five years with effect from the date of approval of investments" shall be substituted by the words "within five years with effect from the date of first remittance of equity to the foreign concern or the date of first shipment of equity exports or the due date for receipt of entitlements which are to be capitalised, whichever is earlier."

(10) Para "7" shall be renumbered as para "7.1".

(11) In para 7 (renumbered as 7.1), after sub para 7.1 (f), the following proviso shall be inserted "Provided that the proposals for overseas direct investment in the financial sector under Category "B" shall also conform to the requirements laid down for this sector at para 5.1 above."

(12) Para "7.1" shall be renumbered as para "7.2".

ASHOK PRADHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996